
छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2020)

भण्डार क्रय नियम 2002 का उददेश्य

- (अ) राज्य शासन के विभागों को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री उचित दरों पर निश्चित समयावधि में प्राप्त हो सके।
 (ब) राज्य शासन को न्यूनतम दरों पर सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
 (स) स्थानीय लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिले।
 (द) यदि किन्हीं सामग्रीयों का उत्पादन राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों द्वारा किया जाता है तो मूल्य एवं गुणवत्ता समान होने की दशा में सामग्रीयों क्रय करने में ऐसे उद्योगों का प्राथमिकता मिले।

भण्डार क्रय नियम

- नियम-1 (1) ये नियम छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 कहलायेंगे।
 (2) इनका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
 (3) ये नियम राजपत्र में अधिसूचित होने के दिनांक से लागू होंगे।
- नियम-2 भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत शासकीय क्रय का आशय शासकीय विभागों द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तुओं से है।
- 2.1 समस्त शासकीय विभागों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, प्रदेश के समस्त सर्वजनिक उपक्रम, मंडल, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, एवं नगरीय निकाय भी भण्डार क्रय नियमों की परिधि में रहेंगे।
- नियम-3 (4) * ऐसी वस्तुएं जो परिशिष्ट-1 में उल्लेखित हैं, की दरों एवं शर्तों का निर्धारण छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा किया जावेगा तथा विभागों द्वारा परिशिष्ट-1 में उल्लेखित वस्तुओं का क्रय छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) द्वारा निर्धारित दरों व शर्तों के अंतर्गत राज्य के ऑनलाइन पोर्टल से सीधे किया जा सकेंगा।
- परिशिष्ट-1 के फर्नीचर वर्ग में सम्मिलित सभी वस्तुओं की तीन साल की परफारमेंस गारंटी (Performance Guarantee) हेतु प्रावधान रहेगा। इस 03 साल की अवधि में यदि मरम्मत की आवश्यकता होगी तो फर्नीचर प्रदायकर्ता ही बिना किसी शुल्क के उक्त रिपेयरिंग कार्य करेंगा।
- अन्य वस्तुएं जो परिशिष्ट-1 में उल्लेखित नहीं हैं, का क्रय संबंधित विभाग नियम-4 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसारण में करेंगे।
- नियम- 4 शासकीय क्रय सामान्यतः निविदा के माध्यम से किया जायेगा। निविदा के संबंध में प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-
- 4.1 निविदा आमंत्रण के पूर्व क्रय की जाने वाली समग्री का मापदंड तकनीकी ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- 4.2 (4) * निविदा की शर्तों का निर्धारण क्रेता द्वारा किया जाएगा।
- (3) * परन्तु छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टॉटअप, जैसा कि औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 परिभाषा में अनुक्रमांक 54 पर परिभाषित है तथा निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाईट पर वैध पाया गया है, को निविदा प्रक्रिया में निम्नानुसार लाभ प्राप्त होंगे :-
- पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं होंगी।
 - उस पर पूर्व टंनओवर संबंधी कोई शर्त अधिरोपित नहीं होगी।
- 4.3 निविदा बुलाने की प्रक्रियाएँ :-
- 4.3.1 एकल निविदा पद्धति :- ऐसी एकल वस्तुएं जो कि सांपत्तिक प्रकृति (Proprietary Character) की हो तथा प्रतिस्पर्धा आवश्यक न समझी जाये, का क्रय एकल निविदा पद्धति अर्थात् एक फर्म से निविदा प्राप्त कर किया जावेगा परन्तु इस एकल वस्तु की वार्षिक आवश्यकता रु. 10,000 से अधिक की न हो।
- 4.3.2. (1), (2) एवं (9)* सीमित निविदा पद्धति :- साधारणतः ऐसे समस्त आदेशों के मामले में अपनाई जानी चाहिये जिसमें अनुमानित वार्षिक क्रय राशि रु. 10,001 से 1,00,000 (रुपए दस हजार एक से रुपए एक लाख) तक हो। इसमें निर्माताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों से सीधा संपर्क स्थापित कर क्रय किया जाता है। इसके लिए यदि विज्ञापन जारी किया जाये तो एक भारी राशि विज्ञापन पर खर्च होगी, इस लिये इससे बचने हेतु कम से कम तीन निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि या पंजीकृत निर्माता (जिस विभाग में प्रचलन हो) से सीमित निविदा के आधार पर क्रय किया जा सकेगा। परन्तु वे वस्तुये जिनकी दर एवं विशिष्टयां ई-मानक पोर्टल पर उपलब्ध न हो हेतु विभाग द्वारा नियम-4 में उपलब्ध प्रावधान का उपयोग कर उक्त सामग्री सीधे क्रय कर सकेगा, किन्तु ऐसे क्रय के लिये क्रेता विभाग को संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेसिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण विक्रेता की साथ एवं एल-1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा।

-
- (1) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 05.07.2017 द्वारा परन्तुक अन्तर्स्थापित।
 (2) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 16.10.2017 द्वारा पैरा जोड़ा गया।
 (3) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 28.04.2018 द्वारा पैरा जोड़ा गया।
 (4) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 30.09.2019 द्वारा पैरा जोड़ा गया।
 (9) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 29.12.2020 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

नियम 4.3.3

(5) एवं (9)*

खुली निविदा पद्धति :— इस पद्धति में हमेशा लोक विज्ञापन द्वारा नियमानुसार खुली निविदाये बुलाकर करना चाहिये। निविदा बुलाने हेतु निम्नानुसार लोक विज्ञापन किया जावे:—

जहां निविदा का अनुमानित मूल्य

1— रु. 1,00,001 से 2.00 लाख तक हो स्थानीय स्तर के बहुप्रचारित एक समाचार पत्र में।

2— रु. 2.00 लाख से अधिक तथा रु. 10.00 लाख तक हो—प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में।

3— रु. 10.00 लाख से अधिक तथा रु. 20.00 लाख तक हो—प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र में।

4— रु. 20.00 लाख से अधिक—प्रदेश स्तरीय बहुप्रचारित दो समाचार पत्रों में तथा राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में।

निविदा बुलाने की प्रक्रिया इन्टरनेट पर की जा सकेगी।

परन्तु केन्द्रीय क्षेत्रीय/केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत क्रय के मामलों में संबंधित योजना में भारत सरकार द्वारा निर्देशित क्रय की निर्धारित/उल्लेखित प्रक्रिया होने पर उसका पालन किया जा सकेगा।

परन्तु खुली निविदा पद्धति में आमंत्रित निविदाओं में दरों की पर्याप्त प्रतिस्पर्धा एवं तुलना सुनिश्चित किये जाने के लिए यह आवश्यक होगा कि कम से कम तीन मूल निर्माताओं की ओर से निर्माता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा में हिस्सा लिया जा कर न्यूनतम तीन पात्र निविदाकारों का होना सुनिश्चित किया जाना होगा।

‘परन्तु, सुरक्षा संबंधी उपकरणों वस्तुओं/सामग्री जिनमें एकल निर्माता से क्रय की स्थिति है, ऐसी वस्तुओं के क्रय हेतु गृह विभाग को नियमावली की कड़िका-4.3.3. के पालन से छूट प्रदान की जाती है। ऐसी सामग्रियों का क्रय गृह विभाग द्वारा विभागीय प्रशासकीय अनुमोदन के पश्चात् स्वयं के स्तर पर प्रक्रिया पूर्ण कर किया जा सकेगा।’

4.4 निविदा विज्ञप्ति :— निविदा बुलाने हेतु संक्षिप्त निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए, ताकि मितव्ययिता बनी रहे। क्रय की अन्य शर्तें टेप्डर फार्म के साथ दी जा सकती हैं।

4.4.1 निविदा सूचना के लिये विज्ञापन प्रपत्र का निर्धारण :—

निविदा विज्ञापन संक्षिप्त होने चाहिए। इसमें केवल क्रय की जाने वाली मुख्य सामग्री या जिस उद्देश्य से निविदा आमंत्रित की जा रही है उसका उल्लेख होना चाहिये। मुख्य शर्तें, यथा किस तिथि तक निविदा स्वीकार की जायेगी का उद्देश्य विज्ञापन में होना अनिवार्य है। जहां तक शर्तों के विस्तृत विवरण का प्रश्न है, इस संबंध में केवल इतना उल्लेख पर्याप्त होगा कि निविदा की विस्तृत शर्तें निर्धारित तिथि के पूर्व कार्य दिवसों में संबंधित कार्यालय से टेप्डर फार्म के साथ प्राप्त की जा सकती है। किसी भी स्थिति में निविदा सूचना के लिए लम्बे—लम्बे विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिये।

4.4.2 निविदा सूचना का प्रारूप :— इस हेतु निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

4.4.3 बुलाई गई निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकेगा।

4.5 निविदा हेतु समय—सीमा निम्नानुसार होगी :—

सीमित निविदा पद्धति	15 दिन
खुली निविदा (रु. 50,000 से अधिक रु. 10 लाख तक)	21 दिन
खुली निविदा (रु. 10 लाख से अधिक)	30 दिन
ग्लोबल निविदा	45 दिन

उपरोक्त सीमा की गणना निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से होगी।

4.6 निविदा प्राप्ति की पद्धति :—

4.6.1 (4) * निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट (ए.डी.) अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी.एंड.टी. विभाग से अधिकृत कोरियर के द्वारा प्राप्त की जाएगी। अथवा निर्धारित टेप्डर बाक्स में डाली जाएगी। ऑनलाइन निविदा में निर्धारित समय सारणी (शेड्यूल) के अनुसार निविदा प्रस्तुत की जावेगी।

(4) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 30.09.2019 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

(5) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-53/2020/11/6 दिनांक 01.09.2020 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

(9) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 29.12.2020 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

4.6.2	<p>(4) * रजिस्टर्ड डाक द्वारा निविदाएं निर्धारित अंतिम तिथि के निर्धारित समय तक ही प्राप्त की जाए तथा इसका उल्लेख निविदा विज्ञप्ति में किया जाएगा। ऑनलाईन निविदा में निर्धारित समय सारणी (शेड्यूल) के अनुसार निविदा प्रस्तुत की जावेगी।</p>
4.6.3	<p>(4) * निविदा खोलने का समय, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के निर्धारित समय तक एक घण्टे पश्चात् अर्थात् उसी दिन निर्धारित समय तक रखा जाएगा। ऑनलाईन निविदा में निर्धारित समय सारणी (शेड्यूल) के अनुसार निविदा खोली जावेगी।</p>
4.6.4	<p>(4) * निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत किया जायेगा। एक लिफाफे में सुरक्षा निधि अथवा उससे छुट संबंधी प्रमाण पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा प्रपत्र, तदानुसार लिफाफे के ऊपर लिखा जाएगा। सुरक्षा निधि वाले लिफाफे को पहले खोला जाएगा। तथा पर्याप्त सुरक्षा निधि अथवा उससे छुट संबंधी प्रमाण पत्र होने पर ही दूसरे लिफाफे अर्थात् निविदा पत्र वाले को खोला जाएगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा। ऑनलाईन निविदा में निर्धारित समय सारणी (शेड्यूल) या ऑन-लाईन निविदा प्रपत्र में उल्लेखित विवरण अनुसार निविदा प्रक्रिया अपनाई जायेगी।</p>
4.6.5	<p>(4) * जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जाएगी तथा वापस लौटा दी जाएगी। निविदा वापस करते समय निविदा के बंद लिफाफे पर निविदा लौटाने की तिथि व समय अंकित किया जाएगा। ऑन-लाईन निविदा प्रक्रिया में निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् निविदा प्राप्त न हो, इस संबंध में समुचित व्यवस्था की जायेगी।</p>
4.7	<p>सुरक्षा निधि— केवल वास्तविक प्रदायकर्ता फर्म ही अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकें, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक निविदा के साथ अनुमानित क्रय मूल्य का कम से कम 3 प्रतिशत सुरक्षा निधि प्राप्त की जाये। यह सुरक्षानिधि सफल निविदाकार की रोककर, शेष 15 दिवस में वापस लौटा दी जाए। प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है, के साथ ही छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टार्टअप, जैसा कि औद्योगिक निति 2014–19 के परिशिष्ट-1 परिभाषा में अनुक्रमांक 54 पर परिभाषित है तथा निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाईट पर वैध पाया गया है, तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, को उसका परीक्षण कर उन्हे शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय सुरक्षा निधि जमा करने से छुट दी जाये। इकाईयों द्वारा इस आशय का प्रमाण, टेंडर के साथ देने पर ही उन्हे छुट प्राप्त होगी।</p>
4.8	<p>सुरक्षा निधि के प्रकार :— सुरक्षा निधि की निर्धारित राशि नगद में प्राप्त नहीं किया जाएगा। निविदाकार को यह सुरक्षा निधि चालान से निम्न लेखा शीर्ष में शासकीय खजाने में/उप-खजाने में या बैंक की किसी भी शाखा में जहां शासकीय नगदी लेन देन का कारोबार किया जाता है, जमा करके चालान की मूल पावती निविदा के साथ प्रस्तुत करें।</p> <p>8443-सिविल जमा राशियां 103— प्रतिमूलि जमा</p> <p>निविदाकार चाहे तो सुरक्षा निधि शासकीय खजाने में जमा करने के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा कर सकता है।</p>
4.9	<p>(4) * क्रय की शर्त :— क्रय की शर्त स्पष्ट होने चाहिये ताकि उसका अलग-अलग अर्थ लगाया जाकर विवाद की स्थिति निर्मित न हो। राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का पंजीयन होना चाहिए तथा उस पंजीयन प्रमाण पत्र में, जिस सामग्री के लिए निविदा की गई है उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ताकि कर अपवचन का मामला नहीं बनें। इसी प्रकार निविदाकर्ता की ओर से निविदा में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का राज्य के जीएसटी विभाग में पंजीयन होना अनिवार्य है तथा पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न किया जावें, जिसमें निविदा में उल्लेखित सामग्री का स्पष्ट उल्लेख होना। इसके अतिरिक्त फर्म का कर समाशोधन प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित होता हो कि फर्म ने देय कर अदा किया है एवं उस पर कोई कर बकाया नहीं है, जहाँ आवश्यक हो लिया जावे। यह स्पष्ट वर्णित किया जावे कि निविदाकर्ता का व्यापारिक संस्थान कहाँ स्थित है, जहाँ से वह मिन्न स्थानों पर माल का प्रदाय करेंगा। दरों में करों का पृथक से स्पष्ट उल्लेख हो। इसके अतिरिक्त क्रय अधिकारी मितव्ययिता को दृष्टिगत रखकर शासन हित में अन्य शर्त लगा सकता है। निविदा प्रपत्र में विक्रेता को काली सूची में डाले जाने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान सहित उल्लेखित हो।</p>

(3) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70 / 2004 / 11 / 6 दिनांक 28.04.2018 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

(4) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70 / 2004 / 11 / 6 दिनांक 30.09.2019 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

4.9.1

(4) * विलोपित।

4.10

नमूना लिया जाना :— उचित गुणवत्ता की वस्तु का चयन किया जा सके, इस हेतु यह आवश्यक है कि प्रदाय की जाने वाली वस्तु का नमूना प्राप्त किया जावे। यदि ऐसा सम्भव न हो तो प्रदायकर्ता अपनी वस्तु का प्रदर्शन भी कर सकता है। यदि यह भी संभव नहीं हो जो करार में यह शर्त जोड़ी जावे कि वस्तु के निर्माण के समय निर्माण स्थल में निरीक्षण करने का अधिकार क्रय अधिकारी को होगा।

4.11

निविदाओं को खोलना :— उपरोक्तानुसार यदि खुले बाजार से निविदा आमंत्रित की गई है तो, प्राप्त निविदाएं एक क्रय समिति के समक्ष खोली जावे। निविदाएं खोलते समय प्रदायकर्ता अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते हैं। जो प्रतिनिधि उपस्थित हो उनकी एक सूची तैयार की जाए तथा उनकी उपस्थिति के प्रमाण में उनके हस्ताक्षर रजिस्टर में लिये जावे।

4.12

क्रय समिति का गठन :—प्रत्येक कार्यालय में जहां प्रतिवर्ष रु. 50,000/-या इससे अधिक का क्रय किया जाता है, एक क्रय समिति बनायी जावे। क्रय समिति में विभाग में पदस्थ लेखा अधिकारी/लेखा प्रभारी को सदस्य के रूप में अनिर्वायत समिलित हो। इस समिति में किन्तु समिति में ऐसे अधिकारियों को अवश्य समिलित किया जाए जो क्रय की जाने वाली वस्तु का तकनीकी ज्ञान रखते हों। क्रय समिति मूल्य एवं वस्तु की गुणवत्ता का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा करेगी। सामान्यतः क्रय समिति की अनुशंसा पर ही क्रय किया जावे परंतु यह आवश्यक नहीं है कि अधिकारी, समिति की अनुशंसा को मान्य करें। यदि वह अन्यथा निर्णय लेता है तो उसके द्वारा ऐसा करने के कारण लिपिबद्ध किये जायें।

स्वीकृति हेतु निविदा का चयन करते समय, निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों एवं फर्मों के वित्तीय स्थिति, तकनीकी कार्यानुभव आदि को विचार में लिया जाये। जब निम्नतम निविदा स्वीकार नहीं की जाए तो ऐसा न करने के कारणों को लिखित में अंकित किया जाए।

यदि निविदा सूचना प्रसारित करने के पश्चात् यह आभास हो कि अपर्याप्त विज्ञप्ति अथवा अन्य कारणों से पर्याप्त निविदाएं प्राप्त नहीं हुई हैं, तो पुनः निविदा बुलाई जावे तथा ऐसे प्रयत्न किया जाए ताकि निविदा की सूचना संभावित समस्त निविदाकारों को पहुँच सके।

4.13

प्रदाय आदेश जारी करना :— क्रय समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर क्रेता अधिकारी को चाहिये कि वह उसका बारीकी से परीक्षण करें। यदि वह क्रय समिति की अनुशंसाओं से संतुष्ट है तो क्रय की अनुमति दे सकता है। यदि वह संतुष्ट नहीं है तो निविदाओं को निरस्त भी कर सकता है उसको यह समाधान कर लेना चाहिए कि किसी फर्जी फर्म के द्वारा निविदा तो प्रस्तुत नहीं की गई है। जिस फर्म के द्वारा निविदा दी गई है, के बारे में यह भी सुनिश्चित कर लेना होगा कि उसके पास कार्य का ज्ञान है वित्तीय वृद्धि से वह सुदृढ़ है, भंडारण की उसके पास पर्याप्त व्यवस्था है। वह चाहे तो निर्माण के पूर्व अथवा निर्माण के समय वस्तु का निरीक्षण भी कर सकता है, इस आशय की शर्त करारनामा में जोड़ी जा सकती है। वस्तुएं इस शर्त पर क्रय की जावेगी कि उनका प्रदाय, क्रेता विभाग द्वारा निर्धारित स्थल पर प्रदायकर्ता द्वारा किया जायेगा।

प्रदाय आदेश जारी करने के पूर्व प्रदायकर्ता फर्म से करारनामा किया जाए, जिससे वह एक नियत समयावधि के अंदर एवं नमूने तथा मापांडड के अनुरूप प्रदाय हेतु बाध्य हो। करार में अन्य शर्तों के अलावा यह शर्त भी जोड़ी जाए कि नमूने तथा मापांडड के अनुरूप वस्तु प्राप्त नहीं होने की दशा में, प्राप्त सामग्री स्वीकार नहीं की जावेगी तथा प्रदायकर्ता को अपने व्यय पर उसे वापस ले जाना होगा। करारनामा में निर्धारित अवधि के अन्दर यदि माल प्रदाय नहीं किया जाता है तो क्रेता विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत प्रतिमाह पेनाल्टी के साथ समयावधि में केवल एक बार ही वृद्धि की जा सकेंगी। शर्तें सभी स्पष्ट होनी चाहिये जिससे उनके दो अर्थ नहीं निकाले जा सकें। यह करारनामा स्टाम्प पेपर पर हो और करार विधिवत निष्पादित होने के पश्चात् ही प्रदाय आदेश दिया जावे।

4.14 (1)

(4) * किसी भी स्थिति में ऐसा आदेश प्रारंभिक आदेश देने के 6 माह के बाद नहीं दिया जायेगा तथा ऐसा करते समय वस्तु की पूर्व निविदा द्वारा निर्धारित दर मूल्य का परीक्षण क्रेता द्वारा करने के बाद यह प्रमाणित किया जायेगा कि उक्त दर निर्धारण मूल्य वस्तु के सामान्य बाजार मूल्य से अधिक नहीं है। परिशिष्ट-1 की वस्तु होने की स्थिति में पुनरावृत्ति आदेश उसी स्थिति में दिया जायेगा जबकि नया दर अनुबंध निष्पादित न हुआ हो, किन्तु पूर्व दर अनुबंध की वैधता में समयावृद्धि सीएसआईडीसी द्वारा की गई हो (जो कि किसी भी परिस्थिति में 6 माह से अधिक नहीं होगी) तथा ऐसा करते समय वस्तु के दर निर्धारण मूल्य का परीक्षण क्रेता द्वारा करने के बाद यह प्रमाणित किया जायेगा कि उक्त दर अनुबंध मूल्य वस्तु के सामान्य बाजार मूल्य से अधिक नहीं है किन्तु दर अनुबंध के 1 वर्ष से अधिक हो जाने की स्थिति में किसी भी तरह का पुनरावृत्ति आदेश नहीं दिया जायेगा।

(4) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 30.09.2019 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

- (2) यदि मूल आदेश अत्यावश्यक हो या आकस्मिक मांग की पूर्ति हेतु दिया गया हो तो पुनरावृत्ति आदेश नहीं दिया जायेगा तथा पुनरावृत्ति आदेश देते समय इस अभिप्राय को प्रमाणित किया जायेगा।
- (3) पुनरावृत्ति आदेश की मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक का नहीं होगा।
- नियम-5** महत्तवपूर्ण संयंत्र एवं मशीने केवल उन्हीं फर्मों से प्राप्त की जायेंगी, जिनका नाम डी.जी.एस.एड.डी. द्वारा पंजीकृत हो अथवा जिनका नाम समय-समय पर उनके द्वारा जारी सूची में सम्मिलित किया गया हो।
- 5.1 ऐसे भी प्रकरण हो सकते हैं जिनमें ऐसी फर्मों से निविदा प्राप्त हुई हो जिनका नाम पंजीयन सूची में न हो। यदि निविदा प्रथम दृष्टया संतोषप्रद हैं तो, उसे निरस्त नहीं किया जाएगा, अपितु इस संबंध में डी.जी.एस.एड.डी. से फर्म की दक्षता एवं स्तर के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाएगी।
- 5.2 क्रयकर्ता अधिकारी द्वारा सभी वस्तुएं निरीक्षण की शर्त पर स्वीकार किये जाएंगे।
- नियम-6** विदेशों से क्रय :-ऐसी वस्तुएं जो देश में निर्मित नहीं होती हैं अथवा उन्नत तकनीकी की हैं, उन्हें विदेशों से क्रय/आयात किया जा सकेगा। यह क्रय/आयात भारत शासन द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से किया जा सकेगा। यदि आवश्यक हुआ तो विशेष परिस्थितियों में शासन की अनुमति से “ग्लोबल टेंडर” बुलाकर क्रय किया जा सकेगा।
- नियम-7** जैसा कि नियम-3 में उल्लेखित है, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) परिशिष्ट-1 के अनुसार वस्तुओं की दरों एवं शर्तों का निर्धारण करेगा। विभागों द्वारा क्रय इन दरों व शर्तों के अंतर्गत निर्धारित इकाईयों से किया जा सकेगा। दरों व शर्तों के निर्धारण के लिये कार्पोरेशन द्वारा विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की जावेगी।
- 7.1 (5) * सीएसआईडीसी के द्वारा विभिन्न निर्माणकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रदायकर्ता का पंजीयन किया जावेगा।
- 7.1.1. (4) * छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सीएसआईडीसी) को क्रय प्रक्रिया में लगने वाला निरीक्षण शुल्क एवं अन्य व्यय वास्तविक दरों पर देय होगा।
- 7.2 निविदा के माध्यम से वस्तुओं के दर निर्धारण नियम-4 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में किया जावेगा। इस हेतु पंजीकृत इकाईयों को मान्य किया जावेगा तथा तदानुसार सूची प्रकाशित की जायेगी।
- 7.3 (5) * सामान्यतः सामग्रियों की दरें एक वर्ष के लिये मान्य होंगी। परिशिष्ट-1 की वस्तु होने की स्थिति में नया दर अनुबंध निष्पादित न होने पर पूर्व दर अनुबंध की वैधता में अधिकतम 6 माह की वृद्धि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा की जा सकेगी, जो कि किसी भी परिस्थिति में मूल दर अनुबंध अवधि का समयावधि वृद्धि अवधि जोड़कर कुल 1 वर्ष छः माह से अधिक नहीं होगी। सीएसआईडीसी द्वारा सभी वस्तुओं के मानक मापदंड का निर्धारण करेगा। जिसमें समय-समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जायेगा तथा इसके लिए विशेषज्ञों की सहायता लेगा। सीएसआईडीसी परिशिष्ट-1 में उल्लेखित वस्तुओं के बाजार मूल्यों की सतत समीक्षा करेगा।
- नियम-8** राज्य शासन के अन्य विभागों एवं उनके उपक्रमों से सामग्रियों का क्रय :-
- 8.1 ग्रामोद्योग विभाग से सहायता प्राप्त इकाईयों तथा महिला एवं बाल विकास व पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत गठित महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित हैन्डलूम तथा हैन्डीक्राफ्ट सामग्रियों का क्रय शासकीय कार्यालयों द्वारा सीधे इन इकाईयों/समूहों से किया जा सकेगा जिसके लिए पृथक से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा।
- 8.2 छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित बेल मेटल, लौह, काष्ठ, बांस, शीशम, कौड़ी आदि शिल्प सामग्रियों तथा शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों, कार्यालयों एवं विश्राम गृह में उपयोग होने वाली ऐसी स्टेशनरी एवं सजावटी सामग्री ग्रामोद्योग विभाग के हस्तशिल्प प्रकोष्ठ से क्रय करने हेतु पृथक से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा।
- 8.3 समस्त विभागों द्वारा हैन्डलूम तथा हैन्डीक्राफ्ट सामग्री का क्रय आदेश “छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर एवं “छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर” को ही प्रदान किया जावे।
- 8.4 यदि राज्य शासन के किसी विभाग द्वारा संचालित विभागीय निर्माण इकाईयां सामग्री का निर्माण करती हैं तो ऐसी निर्माणकर्ता इकाई से सामग्री का क्रय किया जा सकेगा जिसके लिए पृथक से निविदा बुलाना आवश्यक नहीं होगा।

(4) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 30.09.2019 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

(5) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-53/2020/11/6 दिनांक 01.09.2020 द्वारा पैरा जोड़ा गया।

8.5	<p>कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा “गौधन न्याय योजना” के अंतर्गत संचालित / नियंत्रित / अधिकृत राज्य शासन के विभागों के शासकीय संस्थानों/गौठानों के द्वारा उत्पादित “जैविक खाद (वर्मी कम्पोस्ट)” का, शासन के अन्य विभागों द्वारा सीधे क्रय, “कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा” समय-समय पर निर्धारित दरों पर किया जा सकेगा। इस हेतु पृथक से निविदा बुलाया जाना आवश्यक नहीं होगा।</p>
नियम -9	इन नियमों के अधीन शासन के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग / उपक्रम से क्रय किया जाना वर्जित नहीं है। ऐसा क्रय मूल दरों पर ही होगा।
नियम -10	प्राकृतिक आपदा या कानून व्यवस्था की विषम परिस्थितियों में बिना निविदा बुलाये ही, अत्यावश्यकता की प्रकृति को अभिलिखित करते हुए सीधे समक्ष अधिकारी द्वारा क्रय किया जा सकेगा।
नियम-11	<p>(1), (2), (4) एवं (9) *</p> <p>सामग्री का निरीक्षण इकाई द्वारा प्रदाय से पूर्व कराया जायेगा। प्राप्त किये जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता मानकों के अनुसार होने की जिम्मेदारी संबंधित प्रदायकर्ता व क्रेता विभाग की होगी एवं क्रेता विभाग प्रदायकर्ता इकाई को भुगतान सीधे ही करेंगे। विभागों को माल एवं बिल प्राप्ति के 20 दिवस के अंदर नियमानुसार बिल का भुगतान करना अनिवार्य है। भुगतान में अकाशण विलंब होने पर विभाग द्वारा प्रचलित बैंक दर से ब्याज़ देय होगा।</p> <p>प्रदायित सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये जिस स्थल पर सामग्री प्रदाय की गई है वहाँ पर भी निर्धारित प्रतिशत में चयनित गुणवत्ता संस्थाओं से सामग्री का निरीक्षण कराया जावे। इस स्थिति में प्रदाय स्थल पर निरीक्षण निश्चित समय (अधिकतम अवधि 10 दिवस) में पूर्ण कराया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी क्रेता विभाग की होगी। समय-सीमा में गुणवत्ता निरीक्षण पूर्ण न होने की स्थिति में ऑनलाईन पोर्टल द्वारा उक्त गतिविधि को पूर्ण मानकर आगामी प्रक्रिया हेतु प्रकरण अप्रेषित किया जायेगा।</p> <p>ई-मानक पोर्टल के माध्यम से सामग्री का क्रय किये जाने की स्थिति में सामग्री प्राप्त हो जाने के 48 घण्टे के भीतर क्रेता को Provisional Receipt Certificate (PRC) जारी किया जाना आवश्यक होगा। प्राप्त सामग्री का सत्यापन किये जाने के उपरांत Consignee Receipt-Acceptance Certificate (CRAC) जारी की जायेगी। यह (PRC) जारी होने की दिनांक से 10 दिनों के अंदर जारी किया जाना आवश्यक होगा। (CRAC) जारी होने की दिनांक से 10 दिनों के भीतर सामग्री का भुगतान क्रेता द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।</p>
नियम -12	निविदा एवं अनुबंधों की सूची/प्रतियां महालेखाकार कार्यालय को भेजना:-
नियम-13	<p>(4) *</p> <p>वित्त संहिता भाग-1 के नियम 21 (2) के अनुसार लेखा परीक्षा को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक विभाग एवं शासन द्वारा कराये गये कार्य के लिए निविदा एवं अनुबंधों की जांच करें अतः रूपए एक लाख या उससे अधिक के अनुबंधों की प्रतियां उन्हें प्रेषित की जाएगी।</p> <p>(3) *</p> <p>सामग्री क्रय करने वाले शासकीय विभाग का यह दायित्व होगा कि सामग्री क्रय करते समय यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग द्वारा किया जाता है तो मूल्य एवं गुणवत्ता औचित्यपूर्ण होने तथा इकाई की पंजीकृत उत्पादन क्षमता की सीमा में होने की दशा में ऐसे उद्योगों से अनिवार्यतः सामग्रियां क्रय करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।</p> <p>(3) *</p> <p>सामग्री क्रय करने वाला शासकीय विभाग छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैद्य स्टार्टअप जैसा कि औद्योगिक नीति 2014-19 के परिशिष्ट-1 परिभाषा में अनुक्रमांक 54 पर परिभाषित है तथा निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाईट पर वैद्य पाया गया है, न्यूनतम स्वीकृत निविदा दर (एल-1) के बराबर करने की सहमति तथा गुणवत्ता औचित्यपूर्ण होने की दशा में सामग्रियों क्रय करने में ऐसे वैद्य स्टार्टअप को कुल क्रय राशि का 1 प्रतिशत, अधिकतम रूपये 10 लाख प्रतिवर्ष की सीमा तक एवं उत्पादन दिनांक से 3 वर्ष की समयावधि में, क्रय आदेश हेतु प्राथमिकता दे सकेगा। इस हेतु निविदाकर्ता द्वारा निविदा शर्तों में समुचित प्रावधान एवं प्रक्रिया उल्लेखित की जायेगी।</p> <p>13.1 (5) * विलोपित ।</p> <p>13.2 (4) * विलोपित ।</p>

-
- (1) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 05.07.2017 द्वारा परन्तुक अन्तस्थापित ।
(2) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 16.10.2017 द्वारा पैरा जोड़ा गया ।
(3) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 28.04.2018 द्वारा पैरा जोड़ा गया ।
(4) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 30.09.2019 द्वारा पैरा जोड़ा गया ।
(5) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-53/2020/11/6 दिनांक 01.09.2020 द्वारा पैरा जोड़ा गया ।
(9) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70/2004/11/6 दिनांक 29.12.2020 द्वारा पैरा जोड़ा गया ।

13.3	<p>(1), (2) एवं (4)* भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 33(3) / 2013-IPHW दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 एवं इस हेतु जारी दिशा निर्देश दिनांक 16 नवम्बर, 2015 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार इलेक्ट्रोनिक उत्पादों के क्रय में आरक्षण प्रतिशत, निर्माण में स्थानीय इकाई में निर्मित घटक (देशीकरण) का प्रतिशत तय करते हुये नियम तथा प्रक्रिया बनाने का कार्य इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जावेगा।</p> <p>(दो) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को जेम के उपयोग हेतु सञ्चय शासन के साथ निष्पादित एमओयू दिनांक 26.10.2017 को निरस्त करने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी नोटिस दिनांक 28.01.2019 को वापस लिये जाने की कार्यवाही की जायेगी।</p>
नियम—14	(5) * विलोपित ।
14.1	(5) * विलोपित ।
नियम —15	<p>भण्डार क्रय नियम से संबंधित मामलों में उपर्युक्त नियम तथा अन्य किसी नियम के अभाव में डी.जी.एस.एप्ड.डी. के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा।</p> <p>क्रय तथा निविदा आमंत्रण में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी :—</p> <p>समाचार पत्रों में जारी निविदा के साथ ही क्रेता विभाग का वेबसाईट का पता भी दिया जाए।</p> <p>निविदा का सामचार पत्रों में प्रकाशन के साथ निविदा को विभाग की वेबसाईट पर भी प्रकाशित किया जाए। इससे निविदा में भाग लेने वाली इकाई के लिए यह आवश्यक नहीं रहेगा कि वह विभाग से निविदा प्रपत्र प्राप्त करे। निविदाकार वेबसाईट में उपलब्ध निविदा प्रपत्र को डाउनलोड करके निविदा में भाग ले सकेगा जिसे मान्यता प्रदान की जायेगी।</p> <p>ऐसे निविदाकारों से, जिन्होंने वेबसाईट से डाउन लोड करके निविदा भरी है, निविदा फीस निविदा प्रस्तुत करते समय प्राप्त की जायेगी।</p> <p>कुछ विशेष प्रकृति की सामग्री जिनका ई-टेंडरिंग किया जा सकता है, ई-टेंडरिंग के द्वारा निविदा आमंत्रित की जाये।</p>
नियम —16	<p>विशेष परिस्थितियों में राज्य शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग किसी नियम को शिथिल करने की स्वीकृति दे सकेगा तथा इन नियमों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकेगा।</p>

-
- (1) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70 / 2004 / 11 / 6 दिनांक 05.07.2017 द्वारा परन्तुक अन्तस्थिति ।
 (2) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70 / 2004 / 11 / 6 दिनांक 16.10.2017 द्वारा पैरा जोड़ा गया ।
 (4) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-70 / 2004 / 11 / 6 दिनांक 30.09.2019 द्वारा पैरा जोड़ा गया ।
 (5) * इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 20-53 / 2020 / 11 / 6 दिनांक 01.09.2020 द्वारा पैरा जोड़ा गया ।

परिशिष्ट – 1
 (नियम 3 एवं 7) यथा संशोधित

सरल क्रमांक	परिशिष्ट-1 का अनुक्रमांक	वस्तु का नाम
1	1.	पेन्ट वारनीश और डिस्ट्रेपर
2	5.	स्टेनलेस स्टील एवं एल्यूमिनियम के बर्टन
3	6.	कृषि उपकरण :— अ. बेलचा ब. कुदाली, गैती स. फावड़ा ढ. धमेला इ. सब्बल
4	7.	स्टील के पाईप (जी.आई.पाईप (केसिंग पाईप/राईजर पाईप) सहित)
5	13.	स्टील रि-रोलिंग मिल के उत्पाद (ख) एंगल
6	17.	सेनेटरी फिटिंग
7	19.	जनरल इंजीनियरिंग :— ब) बिल्डिंग मटेरियल :— स) स्टील स्ट्रक्चर्स, ट्रेसेस, स्टील डोर, विन्डो, ग्रिल, स्टोरेज टैंक, रोलिंग शटर, सेन्टरिंग प्लेट, स्टील बेस फ्रेम, प्रेस्ट डोर व विन्डो द) बारबेड वायर, एम.एस. वायर, वायर नोटिंग, लिंक चेन्स, शीट मेटल गुड्स :— स्टील ट्रंक, बाक्सेस, ड्रम, कंटेनर, बकेट, आफिस स्टेशनरी आर्टीकल्स :— कान्फीडेंयिल बाक्सेस, रैक्स आदि इ) सभी प्रकार के स्टील फर्नीचरस (आफिस व हास्पिटल के लिये) फ) रोड साईन बोर्ड
8	20.	जीप ट्राली, ट्रैक्टर ट्राली, वाटर टैंकर, अनेक साईजों व क्षमतानुसार ट्रालियां
9	21.	केरोसीन स्टोरेज टैंक
10	25.	कोमिकल प्रोडक्ट्स :— अ) एसिड-सल्फयूरिक, नाइट्रीक, हाइड्रोक्लोरिक ब) लाईम स) डिस्टील्ड वाटर द) शेलॉक इ) एलम फ) ब्लीचिंग पावडर ज) फिनाईल झ) टिंचर आयोडीन ट) सोडियम हाइपोक्लोराईट
11	27.	इलेक्ट्रिक केबल व वायर, एल्यूमिनियम कंडक्टर
12	28.	इलेक्ट्रिकल आयटम्स :— क) सीलिंग, टेबल व केबिन फैन्स ख) हीटसे ग) विद्युत उपकरण घ) आयरन क्लैड स्वीचेस च) कॉपर टेप छ) एयर कंडीशनर ज) इक्वयूबेटर्स झ) आटो क्लेव ट) एमीटर्स
13	30.	रूम कूलर डेजर्ट टाईप
14	31.	वाटर कूलर
15	35.	बैटरी
16	39.	लेबोरेटरी इक्वीपमेंट

सरल क्रमांक	परिशिष्ट-1 का अनुक्रमांक	वस्तु का नाम
17	40.	फायर फाइटिंग इक्वीपमेंट :— अ) होज ब) पम्प स) फायर इंटिंग्यूशर व रिफिल्स
18	41.	वेल्डिंग ट्रांसफारमर व जनरेटर्स
19	43.	प्लास्टिक की वस्तुएँ :— मोल्डेड अ) फर्नीचर ब) केन स) टम्बलर द) जार इ) बकेट्स
20	45.	एच.डी.पी.ई. पाईप व फिटिंग्स
21	46.	एच.डी.पी.ई. स्टोरेज टैंक
22	47.	पालीयुशेथीन फ्लेक्सीबल, फोम मैट्रेक्स, पिलो
23	48.	पी.वी.सी. पाईप व फिटिंग्स
24	49.	पालीप्रोपलीन बैग
25	50.	पोलीथीन बैग
26	54.	एस्बेस्ट्‌स सीमेंट पाईप, फिटिंग्स
27	55.	स्टोन टाइल्स
28	57.	स्टील सिलंडर रि-इन्फॉसमेंट आर.सी.सी. पाईप
29	58.	आर.सी.सी.पोल
30	59.	बाउंड्री कि.मी. पोल
31	60.	फोटो कापीयर
32	62.	कम्प्यूटर एवं एसेसरीज
33	65.	मास्किटो नेट
34	66.	तारपोलिन / एच.डी.पी.ई. तारपोलिन / एल.डी.पी.ई. व एच.डी.पी.ई. शीट व फिल्म, कैप कवर
35	75.	बूट पॉलिश
36	78.	गमबूट / जूते तथा मोजे
37	80.	आर.सी.सी. हूम पाईप
38	81.	निःशक्त जनर्नों के लिए कृत्रिम अंग / उपकरण
39	85.	क्लोरिन टेबलेट
40	89.	हैण्ड पंप इंडिया मार्क 2 तथा स्पेयर पार्ट्स
41	90.	सबमर्सिबल पंप
42	92.	ब्रिक्स (फ्लाई ऐश)
43	94.	ट्री गार्ड
44	96.	चॉक
45	97.	रोलअप बोर्ड
46	98.	टीन स्लेट
47	101.	कंट्रोल पैनल
48	102.	सायकल
49	104.	आयरन रिमूवल प्लांट
50	105.	स्टैंड अलोन वाटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम
51	106.	एल.ई.डी. लाईट
52	107.	सी.एफ.एल. लाईट
53	118.	सिलाई मशीन
54	122.	समस्त खेल 1. 12 स्टेशन मल्टी जिम के उपकरण / सामग्री 2. फुटबाल के उपकरण / सामग्री 3. बॉलीबॉल के उपकरण उपकरण / सामग्री 4. डिस्क्स (एथलेटिक उपकरण) के उपकरण / सामग्री

सरल क्रमांक	परिशिष्ट-1 का अनुक्रमांक	वस्तु का नाम
		<p>5. शॉट (एथलेटिक उपकरण) के उपकरण/सामग्री</p> <p>6. जेवलिन (एथलेटिक उपकरण) के उपकरण/सामग्री</p> <p>7. एथलेटिक के उपकरण उपकरण/सामग्री</p> <p>8. आरचेरी के उपकरण/सामग्री</p> <p>9. वेट लिफिटंग के उपकरण/सामग्री</p> <p>10. रेसलिंग के उपकरण/सामग्री</p> <p>11. कबड्डी के उपकरण/सामग्री</p> <p>12. खो-खो के उपकरण/सामग्री</p> <p>13. हॉकी के उपकरण/सामग्री</p> <p>14. हैंडबॉल के उपकरण/सामग्री</p> <p>15. जिम्नेस्टीक्स के उपकरण/सामग्री</p> <p>16. स्वीमिंग के उपकरण/सामग्री</p> <p>17. बेडमिंटन के उपकरण/सामग्री</p> <p>18. टेबल टेनिस के उपकरण/सामग्री</p> <p>19. वोशु के उपकरण/सामग्री</p> <p>20. ताईवांडो के उपकरण/सामग्री</p> <p>21. साइक्लींग के उपकरण/सामग्री</p> <p>22. बॉक्सींग के उपकरण/सामग्री</p> <p>23. जूडो के उपकरण/सामग्री</p> <p>24. बास्केट बॉल के उपकरण/सामग्री</p> <p>प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/ हाई/हायर सेकेण्डरी स्तर के खेल सामग्रियों से संबंधित सामग्री</p> <p>25. रस्साकस्सी के उपकरण/सामग्री</p> <p>26. योगा के उपकरण/सामग्री</p> <p>27. सॉफ्ट टेनिस के उपरकण/सामग्री</p> <p>28. कैरम के उपकरण/सामग्री</p> <p>29. भौंगा के उपकरण/सामग्री</p> <p>30. कंचे के उपकरण/सामग्री</p> <p>31. पिट्टुल के उपकरण/सामग्री</p> <p>32. मल्लखांब के उपकरण/सामग्री</p> <p>33. रस्सी कूद के उपकरण/सामग्री</p> <p>34. हैंडबाल के उपकरण/सामग्री</p> <p>35. पंतगबाजी के उपकरण/सामग्री</p> <p>36. गेंडी के उपकरण/सामग्री</p> <p>37. शतरंज के उपकरण/सामग्री</p> <p>38. क्रिकेट के उपकरण/सामग्री</p> <p>39. नेटबाल के उपकरण/सामग्री</p>
55	123.	एल.सी.डी.मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर (LCD Multimedia Projector)
56	129.	फॉर्मिंग मशीन
57	130.	फाईबर से बने उत्पाद (डस्टबिन, सीट, ड्रेफिक-कोन)
58	132.	व्हाईट/ब्लैक बोर्ड
59	133.	इलेक्ट्रिक वेइंग स्केल फॉर चाईल्ड
60	134.	मेकेनिकल एडल्ट वेइंग स्केल (प्लेटफार्म)
61	135.	मेकेनिकल बेबी वेइंग स्केल (हेंगिंग)
62	136.	मेकेनिकल चाइल्ड वेइंग स्केल (हेंगिंग)
63	137.	प्री-स्कूल किट (कुल 37 सामग्रियाँ)

64	139.	व्यायाम उपकरण 1. फिसलपट्टी 2. सी—सी झुला (डबल) 3. मेरी गो राऊन्ड 4. सामान्य झुला 5. सिंगल बार 6. डबल बार 7. आर्च स्वींग डबल 8. किड्स गो राऊन्ड 9. काम्बिनेशन सेट 10. ओशियन वेब 11. रिवाल्विंग प्लेटफार्म 12. वाकिंग बारेल 13. मिनी हट्स बिद् स्लाइड 14. राकिंग बोर्ड 15. ब्रीज लीडर 16. स्पाइरल स्लाइड
65	140.	बायो—मीट्रिक डिवाईस।
66		निर्माण से संबंधित सामग्री कनसरटीना वायर हाइटेक बैरियर
67		वानिकी कार्य से संबंधित सामग्री नीम खली बेनमील डी. ए. पी. सुपर फास्फेट फोरेट क्लोरोपायरिफास मोनोकोटोफास मेलाथियान स्प्रेयर (आई.एस.आई. मार्क) स्प्रींकलर (आई.एस.आई. मार्क) ड्रिप सिस्टम ग्रीन नेट ग्रीन हाऊस पॉली हाऊस रुट ट्रेनर—40 सेल ब्लॉक, क्षमता 80 से 85 सी.सी. (साईज— 350x220x100MM) कोकोपीट वर्मी कोलायड आरा (आई.एस.आई. मार्क) चैन सा (आई.एस.आई. मार्क) कनासी (आई.एस.आई. मार्क) एच. डी. पी. ई. वर्मी बेड (आई.एस.आई. मार्क)
68		(अ) फलदार पौधा आम (ऊंचाई—6 से 8 फिट) ईमली (ऊंचाई—4 से 5 फिट) जामुल (ऊंचाई—6 से 8 फिट) महुआ (ऊंचाई—4 से 5 फिट) चिरौन्जी (ऊंचाई—6 से 8 फिट) आंवला (ऊंचाई—6 से 8 फिट) हर्रा (ऊंचाई—6 से 8 फिट) बहेडा (ऊंचाई—6 से 8 फिट) कटहल (ऊंचाई—6 से 8 फिट) (ब) औषधि पौधा तिखुर बैचांदी जिमीकांदा दहीमन (से) अन्य पौधा

	बरगद (ऊंचाई-6 से 8 फिट) पीपल (ऊंचाई-6 से 8 फिट) नीम (ऊंचाई-6 से 8 फिट) सागौन रुटशूट (स्टेण्डर्ड साइज़) डेन्ड्रोकैलेमस स्ट्रीक्टस राइजोम (दो वर्ष पुराना) बम्बूसा बैलकोवा राइजोम (दो वर्ष पुराना) बम्बूसा बलगेरिस राइजोम (दो वर्ष पुराना) क्लानल नीलगिरी (ऊंचाई-1.5 से 2 फिट)
69	राजमिस्त्री औजार किट रेजा कुली औजार किट कारपेटर औजार किट पेटर औजार किट इलेक्ट्रीशियन औजार किट प्लंबर औजार किट सुख्खा उपकरण किट
	सेनेटरी पेड
	सेनेटरी पेड वेंडिंग मशीन
	सेनेटरी पेड इनसिनरेटर
	अ-वानिकी कार्य से संबंधित सामग्री
	कोलतार (डामर)
70	ब्लैक जापान टेप लारटॉप बायफनथीन (10 प्रतिशत) इमिडियाक्लोप्रिड प्रोफेरोफॉस फायर ब्लोवर (आई.एस.आई. मार्क) सोलर पम्प सेट (आई.एस.आई. मार्क) पेग टूथ सा हायलो बेक बायो इनरिच्ड जैविक खाद प्लान्ट ग्रोथ रेग्लेटर सॉ फाईल ब- विभिन्न प्रकार के पौधे औषधि पौधा सतावर (उचाई-2.5 से 3 फिट) सफेद मूसली (उचाई-2.5 से 3 फिट) सर्पगंधा (उचाई-2.5 से 3 फिट) बायबीडिंग (उचाई-2.5 से 3 फिट) स-अच्य पौधा टिशू कल्वरल सागौन पौधा टिशू कल्वर बांस पौधा टूबोविया (उचाई-6 से 8 फिट) कचनार (उचाई-6 से 8 फिट) स्पैष्टोडिया (उचाई-6 से 8 फिट) महोगनी जैकरेंडा मिलिंग टोनिया
	एल.ई.डी. टीवी
	सीसीटीवी कैमरा (कक्षा अवलोकन हेतु कैमरा)
	Tri Cycle (Garbage Container)
	E-Rikshaw (Garbage Container)
	Globes/Mask/Apron/Shoe
	Plastic Bottle Compression Machine
	Plastic Shredder Machine
	Hand Cart
72	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / हाई / हायर सेकेण्डरी विद्यालय स्तर के सामग्रियों से संबंधित सामग्री
	एल.ई.डी. टीवी
73	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की आवश्यकता
	Tri Cycle (Garbage Container)
	E-Rikshaw (Garbage Container)
	Globes/Mask/Apron/Shoe
	Plastic Bottle Compression Machine
	Plastic Shredder Machine
	Hand Cart

परिशिष्ट – 2
नियम 4.4.2
(निविदा सूचना का प्रारूप)

निविदा विज्ञप्ति क्रमांकदिनांक
की ओर से निर्माताओं तथा उनके अधिकृत विकेताओं से(सामग्री का नाम)
प्रदान करने हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के
कार्यालय से आवेदन प्रस्तुत कर (आयकर प्रमाण पत्र सहित) रु.....नगद
भुगतान कर दिनांक.....के पूर्व कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदा बिकी की अंतिम तिथि समय
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि समय
निविदा खोलने की तिथि समय स्थान

(प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम)